सं. 3/13/2008-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली ; दिनांक : 11 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों तथा जिन व्यक्तियों का वेतन, सिविल प्राक्कलनों के नामे में डालने योग्य है, के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 का लागू होना ।

सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 2(2) (vii) के द्वारा इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था । इन व्यक्तियों के संबंध में संशोधित वेतन नियमावली का लाभ प्रदान किए जाने तथा संशोधित वेतनमान में इनका वेतन निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया । राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 2(2) (vii) में आंशिक संशोधन करते हुए, इन नियमों के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होंगे, जो इसके बाद दिए गए आदेशों के अध्यधीन 01 जनवरी, 2006 से पूर्व पुनर्नियोजित थे । यह निर्णय संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सिविल विभागों में पुनर्नियोजित उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे किसी सिविल पद अथवा सशस्त्र बलों से पेंशन और/अथवा उपदान अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा, उदाहरणार्थ अंशदायी निधि आदि सहित अथवा उसके बिना सेवानिवृत्त हुए हैं ।

2 (i) एक पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी, जो पहली जनवरी, 2006 से संशोधित वेतनमान द्वारा अधिशासित होना चुनता है अथवा चुना है, समझा गया है, का आरंभिक वेतन निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात् :-

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, यदि वह -

(i) एक ऐसा सरकारी कर्मचारी है, "जो पेंशन, उपदान अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के बिना सेवानिवृत्त होता है" और

(ii) एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है, "जो पेंशन अथवा कोई अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा प्राप्त करता है, किन्तु पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण करते समय उनकी उपेक्षा की गई (उनको गिना नहीं गया)"

2 (ii) पेंशन अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा सहित सेवानिवृत होकर पुनर्नियोजित होने वाले सरकारी सेवक का तथा जिसका वेतन, पुनर्नियोजन पर इन प्रसुविधाओं पर ध्यान देते हुए अथवा उसके एक भाग की उपेक्षा करते हुए निर्धारित किया गया था, और जिसने पहली जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन द्वारा अधिशासित होना चुना है अथवा चुना गया समझा गया है, का आरंभिक वेतन, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा । इस प्रकार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त पुनर्नियोजित सरकारी सेवक, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यथा संशोधित पूर्व संशोधित वेतनमानों में अनुमत्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं अर्जित करता रहेगा, जिनके संबंध में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए गए हैं । तथापि, संशोधित पेंशन (पेंशन का उपेक्षणीय भाग, जहाँ कहीं लागू हो, को छोड़कर) के समतुल्य राशि दिनांक 1-1-2006 से अथवा बाद से, पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन के निर्धारण के संबंध में सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप उसके वेतन में से काट (कम कर) दी जाएगी । वार्षिक वेतनवृद्धि की अनुमति केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 10 में निर्धारित तरीके से समस्त वेतन राशि पर यह मानकर दी जाएगी, जैसे कि यदि पेंशन की कटौती न की गई होती ।

3. पुनर्नियोजित व्यक्ति, जो इन आदेशों के अनुसार अपना संशोधित वेतनमान चुनने के पात्र हो गए हैं, वे इन आदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर अथवा जिन मामलों में उनके द्वारा धारित पदों के मौजूदा वेतनमान इन आदेशों के जारी होने के बाद संशोधित हुए हैं, वे वेतनमान संशोधित होने वाले आदेशों/अधिसूचनाओं के जारी होने के तीन माह के भीतर केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 6 में निर्धारित तरीके से अपना विकल्प देंगे ।

4. जहाँ कोई पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन अर्जित करना चुनता है और दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाता है, तो संशोधित वेतनमान में किसी बाद की तारीख से उसका वेतन केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

5. इसके अतिरिक्त, पुनर्नियोजन पर वेतन आहरण जमा सकल पेंशन मौजूदा सीमा 26,000/- से बढ़ाकर 80,000/-रुपए कर दी गई है, जो कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत भारत सरकार के सचिव को देय अधिकतम वेतन है ।

6. राष्ट्रपति जी ने कमीशन प्रदत्त सेवा अधिकारियों तथा 55 वर्ष की आयु होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'क' पदधारित सिविल अधिकारियों के मामले में पेंशन के उपेक्षणीय भाग 1500/-रुपए को भी बढ़ाकर 4000/-रुपए कर दिया है । अतः पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों का वेतन निर्धारण करते समय उपेक्षित (इग्नोर) किए जाने योग्य सिविल तथा सैन्य पेंशन की मौजूदा सीमा को, ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में लागू करना समाप्त कर दिया जाएगा, जो 01-1-2006 को अथवा उसके बाद पुनर्नियोजित हुए हैं । जो व्यक्ति पहले से पुनर्नियोजन में हैं, उनका वेतन दिनांक 01-1-2006 से इन आदेशों के आधार पर निर्धारित किया जाए, बशर्ते कि वे इन आदेशों के तहत आने का विकल्प चुनते हैं । यदि वे ऐसा विकल्प चुनते हैं, तो उनकी सेवा शर्तों को नए सिरे से इस प्रकार

निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि वे दिनांक 01-1-2006 से पहली बार पुनर्नियोजित हुए हैं । विकल्प का प्रयोग इन आदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर लिखित में किया जाए । एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा ।

7. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

8. ये आदेश 01-1-2006 से लागू होंगे ।

(रोली सिंह)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार) ।

प्रतिलिपि :- निदेशक (एन.आई.सी.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को, इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर "स्थापना (वेतन)" उप शीर्ष 'वेतन-नियमावली' के तहत डालने हेतु ।

प्रतियाँ निम्नलिखित को भी प्रेषित हैं :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन राज्यों को (400 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से.प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग ।
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ।
6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. सभी अधिकारी/अनुभाग - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(रोली सिंह)
निदेशक